न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 193/2005 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. ईशरसिंह पुत्र गुरूदत्तसिंह कौम रायसिक्ख वासी राताखुर्द तह0 किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

वादी अपीलांट

बनाम

1 रणजीतसिंह पुत्र इंदरसिंह जाति रायसिख
2 कांटू पुत्र जगदेव जिाति मेव वासी राताखुर्द
3 राजस्थान सकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, किशनगढबास

:–– प्रतिवादीगण असल रेस्पो0

4 जीतसिंह पुत्र कालासिंह
5 कृपालसिंह पुत्र कालासिंह
6 लखवीरसिंह पुत्र हरनामसिंह
7 कश्मीरसिंह पुत्र हरनामसिंह
8 प्रितमसिंह पुत्र शंकरसिंह
9 हरनामसिंह पुत्र गुरूदत्तसिंह
10 चाकरसिंह पुत्र मिलावासिंह
11 दलिपसिंह पुत्र ईशरसिंह
12 जोगेन्द्रसिंह पुत्र ईशरसिंह
13 कलवंतसिंह पुत्र नादरसिंह
14 जीवनसिंह पुत्र श्रवणसिंह
15 फत्तसिंह पुत्र चाननसिंह जाति रायसिख
16 मु. मानवी बेवा सुब्बो जाति मेव वासी राताखुर्द तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:––– तरतीबी प्रतिवादीगण रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास
दिनांक 21.9.2005

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अमरसिंह यादव

2. वकील रेस्पो0सं0 1 :– श्री परमानंद मेहरा

निर्णय दिनांक 30-8-19

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा राजस्व वाद संख्या 161/2003 में पारित निर्णय दिनांक 21.9.2005 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट धारा 151 जाप्ता दीवानी में खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने तहत न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत किया था । दौराने विचारण वाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी इस आश्य का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी से संबंधित एक दीवानी वाद बउनवान राजसिंह आदि बनाम कांटू आदि नामक वाद इश्तकरारहक मय हुकमइम्तनाई दवामी अदालत श्रीमान सिविल जज (क0ख0) किशनगढबास में विचाराधीन है । उक्त दीवानी वाद मुकदमे हाजा से पूर्व प्रस्तुत किया गया है । दोनों दावों में विवादित भूमि और पक्षकारान एक समान है । पक्षकारान के हकूकों का निर्धारण भी दीवानी वाद में ही तय होना है । ऐसी सूरत में दावा हाजा काबिले खारिज है, जो चलने योग्य नहीं है । तहत न्यायालय ने उक्त वाद खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने तर्क दिये कि विवादित भूमि की बाबत कोई दीवानी वाद चल रहा है अथवा नहीं, इसकी जानकारी अपीलांट को नहीं है । अपीलांट उस वाद में पक्षकार नहीं है । दीवानी न्यायालय को खातेदारी अधिकार तय करने का अधिकार नहीं है । इसके लिये राजस्व न्यायालय ही सक्षम है । प्रतिवादी ने धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र भी देरी से प्रस्तुत किया है और देरी का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया है । रेस्पो0 नम्बर 01 ने आराजी मुतनाजा खरीद करने पर अपने पिता का नाम बयनामा में इंदरसिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

दर्ज कराया है, जबकि रणजीतसिंह के पिता का नाम मांगसिंह है । रेस्पो0 नम्बर 1 व 2 ने साजाबाज करके कुल कार्यवाही फर्जी की है । विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2 हाल नम्बर 3 चाह वाके ग्राम राताखुर्द है । विवादित चाह मिलकियत सरकार मकबूजे काश्तकारान देह की शामलाती की थी, जिस पर काश्तकारान काबिज होकर उपयोगब व उपभोग बतौर खातेदारान करते रहे हैं । विवादित भूमि चाह से रेस्पो0 नम्बर 2 के पिता जगदेव का कोई संबंध वो सरोकार नहीं था । मगर मृतक जगदेव ने बंदोबस्त सम्वत 2029 में सम्पूर्ण भाग अपने नाम करा लिया, जबकि उसका मात्र 1/10 भाग ही था और शेष 9/10 भाग अपीलांट और तरतीबी रेस्पो0 का था । रेस्पो0 नम्बर 02 ने रेस्पो0 नम्बर 01 को फर्जी तरीके से सम्पूर्ण रकबा बेच दिया । दुरूस्ती हेतु हमने तहत न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया । उक्त दुरूस्ती राजस्व न्यायालय के द्वारा ही देय है, परन्तु तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर धारा 151 जाप्ता दीवानी में दावा खारिज कर दिया । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी के तथ्यों को दोहराते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयापक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0खं0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प0व0, किशनगढबास में प्रस्तुत दीवानी वाद संख्या 21/97 बउनवान राजसिंह वगैरा बनाम कांटू वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 11.3.98 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से सिद्ध है कि उक्त वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का निर्णय उक्त दिनांक 11.3.98 को किया गया है । उक्त वाद के पक्षकारान, तथ्य एवं विवादित भूमि मौजूदा वाद से मेल खाते हैं । उक्त सिविल वाद सन 1997 में प्रस्तुत किया गया था तथा मौजूदा वाद वर्ष 2003 में प्रस्तुत किया गया है अर्थात मौजूदा वाद से पूर्व ही सिविल वाद प्रस्तुत कर दिया गया था ।

6 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह सिद्ध है कि मौजूदा वाद से पूर्व ही सिविल वाद प्रस्तुत कर दिया गया था । मौजूदा वाद और सिविल वाद के तथ्य, पक्षकार और विवादित भूमि एक समान है । जब पूर्व में सिविल वाद प्रस्तुत कर दिया गया था तो फिर राजस्व वाद प्रस्तुत किये जाने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

कोई औचित्य नहीं है । इसलिये मौजूदा वाद में धारा 10 एवं 151 जाप्ता दीवानी के प्रावधान लागू होते हैं । अपीलांट का यह कथन कि उनको सिविल वाद की जानकारी नहीं है, वे सिविल वाद में पक्षकार नहीं है, कतई मानने योग्य नहीं है, क्योंकि सिविल वाद में वे संशोधित वाद पत्र में वादी नम्बर 05 दर्ज है । उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.9.2005 यथावत रखा जाता है ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारीअलवर

Scanned by CamScanner